दिनांक 21.03.2018 को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के आधार सिडिंग एवं End to End Computerization के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही-

सर्वप्रथम सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आज के अतिमहत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी गई, सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व के बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में लगभग 5,55,44,664 आधार नं0 की प्रविष्टि राशन कार्ड के लाभुकों के साथ की गयी जिसमें लगभग 3,96,12,817 आधार नं0 का सत्यापन UIDAI के मदद से कराया गया है, जिसमें 1,42,95,868 आधार नं0 का सत्यापन सही पाया गया एवं 2,53,16,949 आधार नं0 के नाम में Name Mismatch पाया गया । आधार सिडिंग में हो रही कठिनाइयों एवं विगत तीन माह से UIDAI के द्वारा आधार नं0 सत्यापन का कार्य बन्द करने के संबंध में अवगत कराया गया । इस संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

1. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निदेश दिया गया कि डेढ़ माह के अन्दर Data digitization एवं आधार सिडिंग का कार्य पूर्ण कराया जाय ।
2. Bulk Demo Authentication का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से पूर्ववत् कराया जायेगा । सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा UIDAI से लिंक स्थापित कर सत्यापन सेवाओं को आगामी डेढ़ माह में चालू कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत उसके द्वारा सृजित सुविधा का उपयोग कर Bulk Demo Authentication कराया जायेगा । इस अवधि में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग Sub-AUA के रूप में निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ले ।
3. आधार सत्यापन कार्य के निष्पादन के लिए UIDAI को उपलब्ध कराये गये 100 MBPS Dedicated lease line को बंद करने हेतु बेल्ट्रान को निदेशित करने का निर्णय लिया गया
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों का जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित पी0ई0सी0 में आधार कार्ड बनाया जाय । किसी भी परिस्थिति में डाटा का मैच नहीं होता है तो **PoS** मशीन द्वारा **e-KYC** के माध्यम से पूर्ण कराया जायेगा ।

अन्त में बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई ।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक-प्र0 07-ज0वि0प्र0-57/2011 (पार्ट-II)....1819....खाद्य/पटना/दिनांक:- 11.04.18

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC /सहायक महानिदेशक, UIDAI / सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रान, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/4/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0 07-ज0वि0प्र0-57/2011 (पार्ट-II)....1819....खाद्य/पटना/दिनांक:- 11.04.18

प्रतिलिपि:-MKS ENTERPRISES, NEW DAK BAUNGLOW ROAD, PATNA/URMILA INFO SOLUTION, S.K.PURI, PATNA/EMDEE DIGITRONICS PVT. LTD, KOLKATA, WEST BENGAL एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/4/2018
सरकार के सचिव ।